देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर

विश्वविद्यालय भवन,
इन्दौर–452001

क्रमांक : भण्डार /ई.वेस्ट.एवं इले.वेस्ट/2019/222 दिनांक 08 APR 2019

प्रति,

1. विभागाध्यक्ष / निदेशक
   समस्त अध्ययन शालाएं एवं संस्थान,तक्षशिला परिसर,
2. समस्त अधिकारी, तक्षशिला एवं नालंदा परिसर
3. प्रमुख वार्डन / प्रतालक,छात्रावास

विषय :– **Electronic & Electrical Waste के निस्तारण बाबद।**

संदर्भ :– (1) विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक भण्डार ई वेस्ट एवं इले. वेस्ट/2015/548 दिनांक 15.04.15 एवं पत्र क्रमांक भण्डार ई वेस्ट एवं इले.वेस्ट/2018/123 दिनांक 23.05.18
(2) विश्वविद्यालय अधिसूचना क्रमांक:भण्डार/निपटान/2016/158 दिनांक 27.12.2016

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में उल्लेखनीय है कि Electronic & Electrical Waste के निस्तारण बाबद भारत सरकार/ म.प्र.शासन के प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी निर्देशो एवं नियमो प्रपत्रो आदि की संकलित की गई प्रतियां पुस्तक स्वरूप में (Book Form) उपरोक्त पत्र के साथ आपकी ओर आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित की गई थी। इस संबंध में म.प्र.प्रदुषण नियंत्रण बोड, क्षेत्रीय कार्यालय, इन्दौर से प्राप्त पत्र कमांक 671/मुप्रनिबो/तकनीकी/ई–वेस्ट/2019 भोपाल, दिनांक 23.3.2019 की प्रति संलग्न कर अनुरोध है कि ई–वेस्ट निस्तारण तद्नुसार निश्चित कर विश्वविदयालय के भण्डार विभाग को सूचित करे।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि:– क्षेत्रीय अधिकारी,म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पर्यावरण परिसर, ई–5 सेक्टर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल–462016
Tel.No.-07552464428, 2466191 e-mail: it_mppcb@rediffmail.com, Web site www.mppcb.nic.in

क्रमांक 671 / मुप्रनिबो / तकनीकी / ई–वेस्ट / 2019 भोपाल, दिनांक 23-3-19

प्रति,

कुल सचिव
देवी अहिल्या विश्वविघालय,
आर.एन.सी.टी. मार्ग जिला इन्दौर

वैधानिक सूचना

विषयः– बल्क कन्ज्यूमर द्वारा ई–अपशिष्ट (प्रबधन) नियम, 2016 के कियान्वयन बाबत् ।

सन्दर्भः– 1. ई–वेस्ट (प्रबधन) नियम, 2016.
2. मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल का पत्र कमाक एफ–02–01 / 2010 / 56 दिनांक 08 / 08 / 2014.

उपरोक्त विषयांतर्गत विदित हो कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा गजट नोटिफिकेशन दिनांक 10 जून 2015 में ई–वेस्ट (प्रबधन) नियम, 2016 प्रकाशित कर 01 अक्टूबर 2016 से लागू किये गये हैं ।

कृपया नियम की कंडिका 3 (पी) एवं अनुसूची 1 का अवलोकन करें । नियम की कंडिका 9 के प्रावधान अनुसार आपकी इकाई / संस्था से निकलने वाले ई–वेस्ट (इलेक्ट्रानिक एवं इलेक्ट्रिकल वेस्ट) का फार्म–2 में रिकार्ड रखा जाना आवश्यक है तथा ई–वेस्ट निपटान का लेखा–जोखा फार्म–3 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में प्रतिवर्ष 30 जून तक जमा करवाना अनिवार्य है ।

मध्यप्रदेश शासन, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने दिनांक 08 / 08 / 2014 को पत्र कमाक एफ–02–01 / 2010 / 56 द्वारा इलेक्ट्रानिक वेस्ट (ई–वेस्ट) के सुरक्षित निवर्तन के संबंध में निर्देश जारी किये थे कि "प्रायः यह देखा गया है कि इस तरह के ई–वेस्ट को निविदा / नीलामी कर कबाड़ के रूप में बेच दिया जाता है जो कि नियम विरूद्ध है ; कृपया ई–वेस्ट को भारत सरकार के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत रिसायकलर्स के माध्यम से निष्पादन किया जाना चाहिए" किन्तु प्राथमिकता मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पंजीकृत रिसायकलर को दें ।

उपरोक्त नियम के उल्लंघन पाये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 15 के प्रावधानों के तहत् इसे दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है जिसके अंतर्गत 5 वर्ष तक की कैद व एक लाख रूपये का जुर्माने का प्रावधान है ।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में ई–वेस्ट निष्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र में भरकर 15 दिवस के अंदर सम्बंधित क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्राथमिकता के आधार पर सूचित करने का कष्ट करें । नियमों का उल्लंघन पाये जाने पर पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधान अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी ।

(ए.ए. मिश्रा)
सदस्य सचिव

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अधिकारी, म.प्र.प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इन्दौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।